

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं० सं०-2/सा०चि०पदा०-47/2025- /स्वा०, पटना, दिनांक / / 2025

डा० नंदिनी सिन्हा, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मखदुमपुर, जहानाबाद को प्रथम संतान के प्रसव हेतु दिनांक 09.01.2025 से 07.07.2025 तक कुल-180(एक सौ अस्सी) दिन उपभोगित/उपभोग किया जाने वाला अवकाश अवधि को वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-9889, दिनांक 01.12.2015 के आलोक में मातृत्व अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विद्यानन्द जमादार)

सरकार के अवर सचिव।

1250(2)

ज्ञापांक-2/सा०चि०पदा०-47/2025- पटना, दिनांक 23/7/2025

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त

(वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, जहानाबाद/कोषागार पदाधिकारी, जहानाबाद/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जहानाबाद/डा० नंदिनी सिन्हा, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मखदुमपुर, जहानाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

21/7/25

सरकार के अवर सचिव